राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम की खेती का भौगोलिक प्रभाव

Pappu Lal Kumawat

Assistant Professor Geography
Govt. Girls College Bassi , Chittorgarh.

सार–
चित्तौड़गढ़ अफ़ीम उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। चित्तौड़गढ़ की भौगोलिक स्थिति, मृदा, जलवायु, इस फसल के अनुकूल है। अफ़ीम (पेपवर सोमनिफरम एल.) एक नकदी फसल है लेकिन इसे उगाने का उद्देश्य औषधीय है। एन.डी.पी. एस. एक्ट की अनुमति और मेडिकल और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अफ़ीम की खेती को विनियमित भारत सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार ही इस उत्पाद की स्वयं एवम् एकमात्र खरीददार है। भारत में इसकी कृषि अफ़ीम व बीजों के लिए की जाती है। अफ़ीम, पोस्त के डोडो से प्राप्त होती है। भारत में अफ़ीम की खेती मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्यों के अधिसूचित इलाकों में ही की जाती है। नारकोटिक्स की केन्द्रीय जाँच ब्यूरों (ब्छछ), ग्वालियर (मध्यप्रदेश) द्वारा अफ़ीम की खेती के लिए किसानों को लाइसेंस जारी किये जाते हैं। राजस्थान अफ़ीम उत्पादन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्थान के झालावाड़, बांरा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ जिलों के अधिसूचित क्षेत्रों में की जाती है।

कुंजीशब्दः अफ़ीम की खेती समुद्र तल, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, फसल प्रतिरूप, अनुज्ञप्ति सरकार ।

प्रस्तावना–
चित्तौड़गढ़ जिला, राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण–पूर्वी भाग में स्थित है। जिले का अक्षांशीय विस्तार 23032′ से 25013′ उत्तरी अक्षांश एवं देशान्तरीय विस्तार 74012′ से 75049′ पूर्वी देशान्तर है। कुल भौगोलिक क्षेत्र 10856 वर्ग किमी तथा समुद्रतल से ऊँचाई 487 मीटर है। यहाँ लाल, काली एवं लाल–काली मिट्टियाँ पाई जाती है। कुल क्षेत्रफल के 18.8 प्रतिशत पर वन है। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय शुष्क है तथा औसत वार्षिक वर्षा 841.5 मिलीमीटर है। जिले में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 480882 हैक्टेयर है जो जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 39.69 प्रतिश है। मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार रबी की तथा गेहूँ, सरसों, गन्ना खरीफ की प्रमुख फसले हैं। व्यवसायिक फसलों में अफ़ीम यहाँ की प्रमुख फसल है। उक्त अफ़ीम की फसल के लिए भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग द्वारा कृषकों के लिए प्रतिवर्ष अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

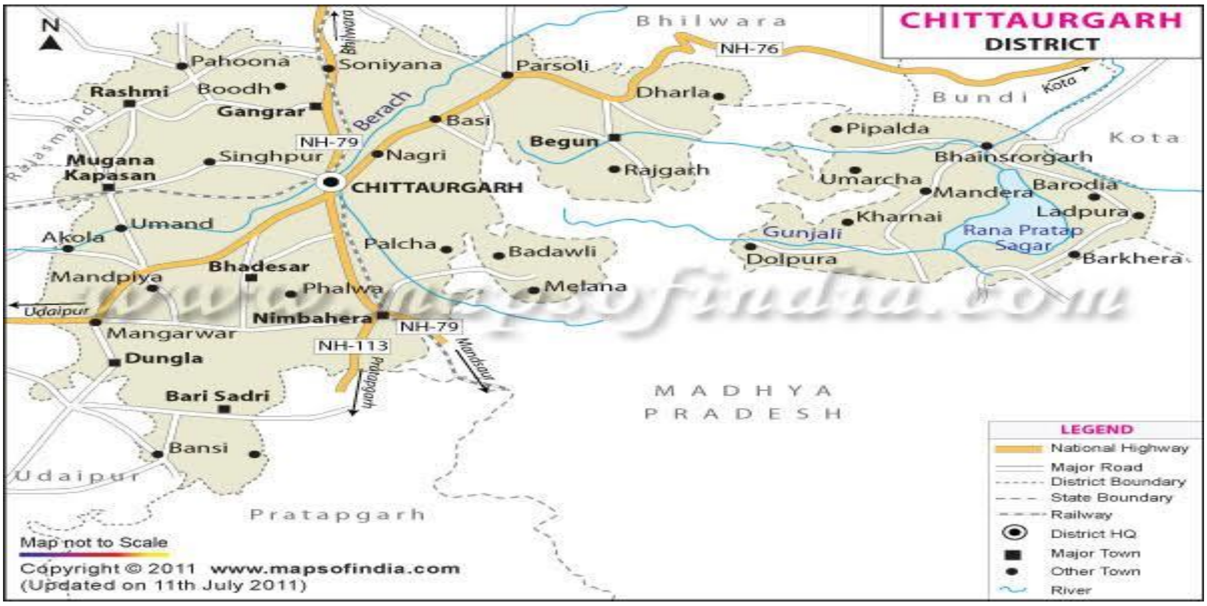

जिले का अंक्षाशीय विस्तार 23032′ से 25013′ उत्तरी अक्षांश एवं देशान्तरीय विस्तार 74012′ से 75049′ पूर्वी देशान्तर के मध्य है। काली, लाल एवम लाल–काली मृदा तथा उष्टकटिबन्धय शुष्क जलवायु जिले में पायी जाती है। अफ़ीम की खेती रबी में अक्टूबर–नवम्बर से फरवरी–मार्च माह के मध्य में की जाती है। अच्छे अंकुरण के लिए बुवाई के समय 20 से 25 के मध्य तापमान होना चाहिए। अफ़ीम की बुवाई छिड़काव विधि से या कतारों में की जाती है। अफ़ीम के लिए मृदा के गुणवत्ता (भारी या हल्की मृदा) के अनुसार 8 से 12 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है।

शोध के उद्देश्य–

- अफ़ीम की कृषि का चित्तौडगढ़ जिले में गहन अध्ययन ।
- जिले में अफ़ीम व अन्य फसलों की लागत व आय का तुलनात्मक अध्ययन।
- जिले में अफ़ीम की कृषि में संलग्न कृषक परिवारों की आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि व प्रभावों का अध्ययन तथा कृषि के पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण।
- समय–समय पर जारी अफ़ीम नीति का अनुज्ञप्तिधारियों पर प्रभाव ।

परिकल्पना–

अफ़ीम नगदी फसल उत्पादित करने वाले कृषकों का आर्थिक, सामाजिक स्तर अन्य नकदी फसलों के उत्पादकों से अधिक सुदृढ़ होता है। उक्त परिकल्पना के आधार पर अफ़ीम के आर्थिक – सामाजिक प्रभावों के साथ–साथ पर्यावरणीय प्रभावों का आनुभविक अध्ययन।

अध्ययन विधितंत्र–

अफ़ीम के अनुज्ञप्तिधारियों का प्रतिदर्श बनाने हेतु बहुचरणी प्रतिचयन (डनसजपेजंहम ैउचसपदह) प्रक्रिया, साक्षात्कार तथा द्वितीय आंकड़ों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन।

विपणन–

अफ़ीम दूध का मूल्य केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरों द्वारा मॉर्फिन की मात्रा के आधार पर, जो कि 1700 से 2500 रुपये प्रति किलोग्राम तक तथा गैर कानूनी रूप से लाखों रूपये प्रति किलोग्राम तक।

अध्ययन क्षेत्र में अफीम की कृषि–

अफ़ीम की कृषि पर अर्न्तराष्ट्रीय नीतियों, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी अफ़ीम नीति का इसमें उत्पादन व वितरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। विगत वर्षो में अफ़ीम कृषि के अन्तर्गत क्षेत्रफल में कमी आयी है। 2008 में पोस्त की खेती में संलग्न क्षेत्र 26000 हैक्टेयर था जो 2018 में घटकर 5800 हैक्टेयर रह गया। तथा अनुज्ञाप्तिधारी किसानों की संख्या भी जो 2008 में 1.60 लाख थी, जो घटकर 2018 में 70,000 से 80,000 ही रह गयी। राजस्थान में वर्ष 2009 में 3595 हैक्टेयर में अफ़ीम खेती थी तथा इस वर्ष उत्पादन 211 मिट्रिक टन था जो वर्ष 2010 में क्षेत्रफल 5700 है. तथा उत्पादन 337 मीट्रिक टन हुआ। ऐसा काश्तकारों के अधिक लाइसेंस व खेती के रकबा बढ़ाने से सम्भव हो पाया। लेकिन फिर भी राजस्थान में अफ़ीम काश्तकारों की संख्या व रकबा में तेजी से कमी आयी है। वर्ष 2017–18 में अफ़ीम के रकबे से वर्ष 1989–90 का रकबा करीब पौने छह गुना अधिक था। वहीं काश्तकारों की संख्या भी करीब तीन गुनी थी। अध्ययन क्षेत्र को नारकोटिक्स विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए तीन खण्डो में बांटा गया है जो निम्न प्रकार है :–

प्रथम खण्ड	**द्वितीय खण्ड**	**तृतीय खण्ड**
भदेसर	गंगरार	निम्बाहेड़ा
चित्तौड़	राशमी डूंगला	बड़ी सादड़ी
वल्लभनगर	मवली भूपालसागर कपासन	

2019 में चित्तौडगढ़ के तीनों खण्डों में 100 टन से अधिक अफ़ीम का उत्पादन हुआ। प्रथम खण्ड में 35,820 कि.ग्रा. अफ़ीम जिसका मूल्य 6 करोड़ 13 लाख रुपये, द्वितीय खण्ड में 32,540 कि.ग्रा. व मूल्य 5 करोड 95 लाख 94 हजार रूपये तथा तृतीय खण्ड में 38,800 कि.ग्रा. व मूल्य 6 करोड़ 10 लाख 40 हजार रुपये था। लेकिन 2020–21 में किसानों जारी अनुज्ञप्ति में कमी तथा अफ़ीम नीति में प्रति रकबे में उत्पादन की सीमा निर्धारित करने से किसानों के अफ़ीम पट्टे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 2019–20 व 2020–21 में अनुज्ञप्तिधारी किसानों की संख्या :–

वर्ष	खण्ड	अनुज्ञाप्तिधारी किसानों की संख्या
2019–20	प्रथम खण्ड द्वितीय खण्ड तृतीय खण्ड	4550 4090 5081
2020–21	प्रथम खण्ड द्वितीय खण्ड तृतीय खण्ड	4320 3696 3991

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2020–21 में 2019–20 की तुलना में नारकोटिक्स विभाग द्वारा अध्ययन के क्षेत्र में विभिन्न खण्डों के अनुज्ञप्तिधारी किसानों की संख्या में कमी आयी है। अफीम उत्पादन का अध्ययन क्षेत्र पर आर्थिक –सामाजिक–पर्यावरणीय प्रभाव अफीम पर समय समय पर जारी अफ़ीम नीति का किसानों की आय, लाइसैंस व रकबे के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से सरकार द्वारा ही अफ़ीम की खरीद से कृषक की आय की सुनिश्चिता रहती है। इससे अफ़ीम कृषकों की आर्थिक स्थिति अन्य कृषकों की तुलना में अच्छी है। अफ़ीम कृषक सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित एवं साधन सम्पन्न होते है। इसी साख के कारण इन्हें कृषि क्षेत्र व अन्य उद्देश्यों के लिए ऋण या वित्त आसान शर्तों में उपलब्ध हो जाता है। जिससे अफ़ीम कृषकों ने आधारभूत आगतों जैसे सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक आदि का उपयोग कर अफ़ीम की कृषि को विकसित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हीं अफ़ीम कृषकों द्वारा अधिक श्रमिकों को रोजगार पर लगाया जाता है अतः अफ़ीम की कृषि अतिरिक्त ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करती है। लेकिन प्रतिवर्ष जारी अफ़ीम नीति व उसमें होने वाले परिवर्तनों का कृषकों की आय व अनुज्ञप्ति प्राप्ति पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। 2019 में जारी अफ़ीम नीति में प्रति हैक्टेयर 5.9 कि.ग्राम अफ़ीम उत्पादन की शर्त रखी गयी व इसमें समय–समय पर परिवर्तन किया जाता है। उक्त निश्चित मात्रा से कम उत्पादन की स्थिति में कृषकों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। तीन वर्षों (2017, 2018, 2019) में अध्ययन क्षेत्र में 15000 किसान लाइसेंस गॅवा चुके है। अतः इसका नकारात्मक प्रभाव कृषकों पर पड़ता है। अध्ययन क्षेत्र के तीनों खण्डों में अफ़ीम कृषकों व शेष कृषकों की आय के स्तर में बड़ा अन्तर अनुसंधान से पता चला जो क्षेत्र में प्रादेशिक असमानता व सामाजिक तनाव का कारण भी है। अफीम की खेती औषधी उपयोग के लिए की जाती है लेकिन यह एक मादक पदार्थ भी है जिससे इसकी तस्करी होती है जो कि गैर कानूनी है। लेकिन तस्करी से प्रति कि. ग्राम से लाखों की आय होती है जो अध्ययन क्षेत्र में अपराध व सामाजिक तनाव का कारण है। अफीम की तस्करी ने तंत्र को भी भ्रष्ट कर दिया है जैसा समय–समय पर अखबारों में आता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अध्ययन क्षेत्र की मृदा की उर्वरता अफीम की कृषि के कारण तेजी से घटी है तथा पक्षियों द्वारा अफीम के सेवन से इनकी संख्या पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा अध्ययन क्षेत्र की जैव– विविधता में कमी आयी है। अतः शोध का निष्कर्ष निकला है कि अफ़ीम में संलग्न कृषकों की आय, अन्य कृषकों से अधिक है। आय में विभिन्नता ने प्रदेशिक असमानता व सामाजिक तनाव को बढ़ाया है। शोध सुझाव में अफ़ीम नीति को अधिक व्यवहारिक बनाया जाये तथा भ्रष्ट तंत्र पर नियन्त्रण कर तस्करी को रोका जाना आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची–

1. राठौड़ जी.एस. (1997)–''तुषारपात का रासायनिक नियंत्रण एवं अफीम की दो किस्मों के निष्पादन पर प्रक्षेत्र खाद के उपयोग का प्रभाव''
2. राजपूत वी.एस. (1977)–''चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेडा पंचायत समिति में अफीम उत्पादन तकनीकी ग्राह्यता को प्रभावित करने वाले कारक''
3. रिपोर्ट (2009, 2010, 2018, 2019, 2020)–नारकोटिक्स विभाग, भारत सरकार
4. भट्टाचार्य आर (2007)–''द गोल्डन ट्राईगल ऑफ अफगान ओपियम लेशन फार अफगानिस्तान
5. डॉगी आर.सी. (2004)–''राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में अफ़ीम उत्पादकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं एवं बाधाओं को चिन्हित करना''
6. नारायण बारेठ–संवाददाता बी.बी.सी. जयपुर 2 जून 2010